भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1915
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

कानूनी सुधार

1915. डॉ. कडियम काव्य :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनी सुधारों और पहलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) न्यायिक प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों के बीच कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) सरकार किस तरह से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करके अनुच्छेद 39क के तहत अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने की परिकल्पना करती है ; और

(घ) वंचित समूहों विशेष रूप से महिलाओं, अ.जा. और अ.ज.जा. पर ध्यान केंद्रित करके कानूनी सहायता पहुंचाने में टेली-लॉ कितना प्रभावी है और विभिन्न राज्यों में विद्यमान अंतर का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : जी हां। विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग(डीओजे) ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39क के अधीन प्रतिपादित बाध्यता को पूरा करने के उद्देश्य से नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने तथा न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल/परियोजनाएं शुरू की हैं तथा योजनाएं विकसित की हैं।

वर्ष 2021 में, "भारत में न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान परिकल्पित करना" (दिशा) नामक एक व्यापक, अखिल भारतीय योजना पाँच वर्ष (2021-2026) की अवधि के लिए शुरू की गई थी, जिसका कुल परिव्यय 250 करोड़ रुपये था । दिशा योजना का उद्देश्य टेली-विधि, न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से विधिक सेवाओं की आसान, सुलभ, किफायती और नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करना है। 30 नवंबर 2024 तक, 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के 785 जिलों में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में टेली-विधि सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं और 10,30,6,149 फायदग्रहियों को पूर्व-मुकद्मेबाजी सलाह दी गई है। न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार इच्छुक प्रो बोनो अधिवक्ताओं और रजिस्ट्रीकृत फायदग्रहियों के बीच न्याय बंधु आवेदन (एंड्रॉयड / आईओएस पर उपलब्ध) पर निर्बाध संयोजन को समर्थ बनाती है । 30 नवंबर, 2024 तक, न्याय बंधु कार्यक्रम के अधीन 8614 प्रो बोनो अधिवक्ता रजिस्ट्रीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य और जिला और स्थानीय स्तर पर लगभग 86 लाख फायदग्रहियों विधि साक्षरता और विधिक जागरुकता के माध्यम से विभिन्न अधिकारों, कर्तव्यों और पात्रता के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना, देश के जिला/अधीनस्थ न्यायालयों की आईसीटी सक्षमता के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना आरंभ की गई थी ताकि न्यायालयीन प्रक्रियाओं में तेजी लाकर मामलों के त्वरित निपटान की सुविधा प्रदान की जा सके और न्यायपालिका के साथ-साथ वादकारों, वकीलों और अन्य पणधारियों के लिए मामले की स्थिति, आदेशों/निर्णयों आदि पर जानकारी का पारदर्शी ऑनलाइन प्रवाह प्रदान किया जा सके। 2015 में शुरू हुई परियोजना के चरण II में, सम्पूर्ण भारत में कुल न्यायालय परिसरों का 99.5% डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ा हुआ है और इसके अतिरिक्त, विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) पर 27.64 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों तक पहुंच उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों द्वारा 3.38 करोड़ मामलों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 7.54 लाख मामलों की सुनवाई की गई है । भारत के उच्चतम न्यायालय की 9 उच्च न्यायालयों और संवैधानिक पीठ में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई। यातायात अपराधों का विचारण करने के लिए 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं। अतिरिक्त विशेषताओं में सीआईएस, एनजेडीजी, जस्टिस ऐप फॉर जज, ईफाइलिंग, ई-संदाय, निर्णय और आदेश खोज पोर्टल, एनएसटीईपी, जस्टिस क्लॉक आदि शामिल हैं।

वर्तमान में, ई-न्यायालय चरण-III को 7,210 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इस चरण का उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच बनाना और न्यायालयों, वादियों और अन्य पणधारियों के बीच एक सहज और कागज रहित इंटरफ़ेस प्रदान करना है। ई-न्यायालय चरण-III की महत्वपूर्ण विशेषताओं में न्यायालय के अभिलेख का डिजिटलीकरण, विरासत अभिलेख और लंबित मामलों दोनों शामिल हैं; आसान पुनर्प्राप्ति के लिए अत्याधुनिक और नवीनतम क्लाउड आधारित डेटा भंडार की स्थिति; आवश्यक जानकारी या कंप्यूटर उपस्कर नहीं रखने वाले नागरिकों को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण भारत के सभी न्यायालय परिसरों को ई-सेवा केंद्रों के साथ संतृप्त करना; कागज रहित न्यायालय एक डिजिटल प्रारूप के अधीन न्यायालय की कार्यवाही लाने के उद्देश्य से भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जबावदेही और मामलों के त्वरित निपटान के लिए; ऑनलाइन न्यायालयों का उद्देश्य न्यायालय में वादियों या अधिवक्ताओं की उपस्थिति को खत्म करना है, इस प्रकार समय और धन की बचत होती है; कृतिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों और इसके उपकेन्द्र जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) आदि का उपयोग लंबित मामलों के लिए, भविष्य की मुकदमेबाजी के पूर्वानुमान आदि के लिए; यातायात चालान के न्यायनिर्णयन से परे आभासी न्यायालयों के दायरे का विस्तार आदि हैं|

इसके अतिरिक्त, सरकार ने अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन किया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य निःशक्ता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से इनकार नहीं किया जाए, और लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधिक प्रणाली के संचालन से समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा मिले। इस प्रयोजन के लिए, तालुक न्यायालय स्तर से उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना की गई है। विधिक सेवा प्राधिकारियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों/कार्यक्रमों में विधिक सहायता और सलाह; विधिक जागरूकता कार्यक्रम; विधिक सेवाएं/सशक्तिकरण शिविर; विधिक सेवा क्लीनिक; विधिक साक्षरता क्लब; लोक अदालत और पीड़ित प्रतिकर स्कीम का कार्यान्वयन सम्मिलित है । विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों /कार्यक्रमों के ब्यौरे **उपाबंध-क** में है।

(घ) : टेली-विधि के अधींन पूर्व-मुकदमेवाजी सलाह प्राप्त करने वाली महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे **उपाबंध-ख** में दिए गए है।

****

उपाबंध-क

विधिक सुधार पर डॉ. कडियम काव्य, सासंद द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1915 जिसका उत्तर 06.12.2024 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

विधिक सहायता और सलाह:

वर्ष	पैनल अधिवक्ताओं को प्रदान किए गए व्यक्ति	सलाह/परामर्श के माध्यम से फायदा प्राप्त व्यक्ति	अन्य सेवाओं के माध्यम से फायदा प्राप्त व्यक्ति	कुल
2022-23	2,91,410	6,39,230	2,84,129	12,14,769
2023-24	3,24,914	9,47,087	2,78,163	15,50,164
2024-25 (सितम्बर, 2024 तक)	1,68,380	5,05,386	86,012	7,59,778

विधिक जागरूकता कार्यक्रम:

वर्ष	आयोजित किए गए विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	उपस्थित व्यक्तियों की सं.
2022-23	4,90,055	6,75,17,665
2023-24	4,30,306	4,49,22,092
2024-25 (सितम्बर, 2024 तक)	1,90,231	1,61,35,058

विधिक सेवा/सशक्तिकरण शिविर:

वर्ष	2021	2022	2023
आयोजित किए गए शिविरों की संख्या	3502	38,541	30043
सभी शिविरों में फायदाग्राहियों की सं.	1,40,94,600	1,15,10,207	1,14,64,230

विधिक सेवा क्लिनिक:

वर्ष	2021-22		2022-23	
प्रवर्ग	विधिक सेवा क्लिनिक	विधिक सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	विधिक सेवा क्लिनिक	विधिक सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
विधि महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	1014	5989	1093	37351
ग्राम	4723	727955	4134	282140
सामुदायिक केन्द्र	1019	141404	776	88638
न्यायालय	762	54871	904	116563
जेल	1181	218501	1177	264593
जेजेबी/सीडब्ल्यूसी/ संप्रेक्षण गृह	447	15742	439	29280
उत्तर-पूर्व के व्यक्तियों के लिए	75	373	64	1170
अन्य	3755	139529	3124	194729
कुल	**12976**	**1304364**	**11711**	**1014464**

वर्ष	2023-24		2024-25 (सितम्बर, 2024 तक)	
प्रवर्ग	**विधिक सेवा क्लिनिक**	**विधिक सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या**	**विधिक सेवा क्लिनिक**	**विधिक सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या**
विधि महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	1034	27545	944	9689
गांव	3659	234515	3771	137556
सामुदायिक केन्द्र	971	75114	831	44351
न्यायालय	1018	141539	1081	85278
जेल	1215	324867	1227	194229
जेजेबी/सीडब्ल्यूसी/ संप्रेक्षण गृह	479	48565	520	38072
उत्तर-पूर्व के व्यक्तियों के लिए	47	615	49	1131
अन्य	2961	183280	3568	117173
कुल	**11384**	**1036040**	**11991**	**627479**

लोक अदालत:

राष्ट्रीय लोक अदालतें

वर्ष	निपटाए गए पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	निपटाए गए लंबित मामले	निपटाए गए कुल मामले
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024 (09 नवम्बर, 2024 तक)	6,46,35,285	1,26,34,580	7,72,69,865

राज्य लोक अदालतें

वर्ष	गठित न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	निपटाए गए लंबित मामले	निपटाए गए कुल मामले
2021-22	74,480	114278	418251	532529
2022-23	62,194	94939	756370	851309
2023-24	9,865	219230	987873	1207103
2024-25 सितम्बर, 2024 तक)	5,944	681938	329974	1011912

स्थायी लोक अदालतें (लोक उपयोगी सेवाएं)

वर्ष	निपटाए गए मामले
2021-22	1,18,136
2022-23	1,71,138
2023-24	2,32,763
2024-25 (सितम्बर, 2024 तक)	98,776

पीड़ित प्रतिकर स्कीम का कार्यान्वयन

वर्ष	दिया गया प्रतिकर (रुपए में)
2021-22	2,21,87,47,426
2022-23	3,47,80,37,352/-
2023-24	4,02,90,06,736/-
2024-25 (सितम्बर, 2024 तक)	2,27,12,83,081/-

****

उपाबंध- 'ख'

विधिक सुधार पर डॉ. कडियम काव्य, सासंद द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1915 जिसका उत्तर 06.12.2024 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

2017 से नवंबर 2024 तक टेली-विधि कार्यक्रम के अधीन महिलाओं, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजातियों को दी गई सलाह के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे।

क्र. स.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	अंदमान और निकोबार	1,759	2,232	136
2	आन्ध्र प्रदेश	1,57,161	70,679	22,041
3	अरूणाचल प्रदेश	11,633	8,459	3,686
4	असम	86,974	26,975	12,391
5	बिहार	2,86,713	2,30,607	40,117
6	चंडीगढ़	3,858	3,694	528
7	छत्तीसगढ़	2,15,299	1,23,428	1,21,218
8	दादरा और नागर हवेली तथा दमण एवं दीव	2,712	882	709
9	दिल्ली	4,665	3,309	237
10	गोवा	4,522	4,392	568
11	गुजरात	1,31,135	77,952	1,89,284
12	हरियाणा	62,319	65,574	10,393
13	हिमाचल प्रदेश	38,603	40,890	12,663
14	जम्मू-कश्मीर	2,00,198	1,25,923	67,805
15	झारखंड	1,98,250	95,093	82,159
16	कर्नाटक	1,81,377	83,696	23,508
17	केरल	18,618	13,857	1,306
18	लद्दाख	1,171	419	1,452
19	लक्षद्वीप	1,224	1,634	5
20	मध्य प्रदेश	3,58,011	3,86,046	1,79,067
21	महाराष्ट्र	2,76,008	3,21,237	1,51,815
22	मणिपुर	585	171	495
23	मेघालय	13,768	1,146	25,865
24	मिजोरम	15,713	1,672	24,136
25	नागालैण्ड	12,508	910	25,038
26	ओडिशा	1,34,779	1,30,919	88,619
27	पुदुचेरी	1,186	1,082	49
28	पंजाब	1,01,954	1,74,512	16,011
29	राजस्थान	2,56,893	2,20,151	94,473
30	सिक्किम	1,152	991	482
31	तमिलनाडु	1,38,036	67,365	17,489
32	तेलंगाना	95,869	61,107	31,329
33	त्रिपुरा	42,083	29,423	20,100
34	उत्तर प्रदेश	8,01,086	7,07,453	1,02,535
35	उत्तराखंड	71,875	94,642	10,809
36	पश्चिमी बंगाल	1,02,269	79,785	10,201
	कुल	**40,31,966**	**32,58,307**	**13,88,719**

****